भारत सरकार

पोत परिवहन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4798 जिसका उत्तऔर

गुरुवार**, 30** मार्च**,** 2017/9 चैत्र**,** 1939 (शक) को दिया जाना है

जलमार्ग और तटीय पोत परिवहन के माध्य8म से यातायात

4798. डॉ. उदित राज :

श्री कोनाकल्लाि नारायण राव

श्री मुल्ला्पल्लीन रामचन्द्र्म

क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परियोजना -वार सागरमाला कार्यक्रम की राष्ट्रीरय संदर्शी योजना की कार्यान्वजयन स्थि ति क्याल; है

(ख) क्याा सरकार ने इस प्रयोजन हेतु विभन्न् समितियां गठित की हैं और यदि हां, तो तत्सं बंधी ब्यौ्रा क्याै है और अब तक इनका क्यान योगदा़न हैं

(ग) क्याय सरकार को केरल सरकार से सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ़ परियोजनाओं को सम्मिबलित करने का कोई प्रस्ता व प्राप्ता हुआ है और यदि, हांतो तत्संजबंधी ब्यौ्रा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्यात कार्यवाही की ग़ई है

(घ) सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तारवित तटीय आर्थिक जोन (सीईजेड) की वर्तमान स्थिसति क्याक़ है

(ड.) क्याथ सरकार का विचार सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत नए पत्त नों की स्था;पना करने का है और यदि हां, तो तत्संवबंधी ब्यौयरा क्यां; है

(च) क्यां आंध्र प्रदेश में रम्मधयापट्टनम में नया पत्त न स्थाीपित किया जाना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौ रा क्याय; हैऔर

(छ) सागरमाला के अंतर्गत परियोजना हेतु कुल कितना व्यहय किया गया है और निधियां किस ढंग से जुटाई जाने की संभावना है?

उत्तयर

पोत परिवहन राज्यस मंत्री

(श्री पोन्. राधाकृष्णसन्)

(क) भारत की तटरेखा तथा समुद्री क्षेत्र के व्यािपक विकास के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्या योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है। सागरमाला के एक हिस्सेय के रूप में लगभग 8 लाख करोड़ रू के एक अनुमानित निवेश पर (अनुबंध) पत्तसन आधुनिकीकरण एवं नए पत्तान का विकास, पत्तनन संपर्कता को बढ़ाया जाना पत्तधन से जुड़े औद्योगिकीकरण तथा तटीय समुदाय विकास के क्षेत्रों में 400 से अधिक परियोजनएं निर्धारित की गई हैं। सागरमाला के अंतर्गत चुनी गई परियोजनाओं को संगत केन्द्री य मंत्रालयों राज्य। सरकारों महापत्तोनों तथा अन्यग एजेन्सियों द्वारा प्रमुखत: निजी क्षेत्र की भागीदारी अथवा पी पी पी माध्यरम से कार्यान्वित किया जाने पर विचार किया जाएगा। अत: उपर्युक्त परियोजनाओं का ब्यौरा कार्यान्व यन समय सीमाओं तथा कार्य योजनाओं को अंतिम रूप दिए जाने हेतु संगत केन्द्रीय मंत्रालयों राज्यं सरकारों तथा अन्यत अभिकरणों से साझा किया गया है। कुल 214 परियोजनाएँ पहले से ही कार्यान्व यन तथा विकास के विभिन्न चरणों के अंतर्गत हैं **(अनुबंध-2)।**

(ख) सागरमाला संस्थापगत संरचना के एक भाग के रूप में 13 मई 2015 को राष्ट्रीरय सागरमाला शीर्ष समिति (एन एस ए सी) का गठन किया गया तथा अब तक दो बैठकें की जा चुकी हैं। एन एस ए सी राष्ट्री य परिप्रेक्ष्य योजना कार्यान्वबयन सहित एन पी पी के नियोजन एवं कार्यन्वरयन के विभिन्न् पक्षों की समीक्षा करता है। सागरमाला समन्व यन एवं स्टीनयरिग समिति का गठन 8 जुलाई 2015 को किया गया था और अब तक 3 बैठकें की गई हैं। एस सी एस सी कार्यान्वषयन की प्रगति की समीक्षा करती है तथा परियोजना वित्तठ पोषण/ समन्व्यन से संबंधित विषयों पर विचार करती है। प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्रन गोवा , गुजरात , पुड्डुचेरी तथा अंडमान-निकोबार , की सरकारों ने राज्यश सागरमाला समितियों का गठन किया है। एस एस समितियों की बैठकें गोवा , तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, अंडमान-निकोबार में आयोजित की गई हैं। एस एस समितियों राज्यर स्तलर सागरमाला से संबंधित परियोजनाओं का कार्य प्रारंभ करने को सुकर बना रही हैं।

(ग) पोत परिवहन मंत्रालय को केरल सरकार से तीन प्रस्तारव अर्थात् विझिंझम पत्त न तक रेल संपर्क, अज्झिकल पत्तेन का विकास तथा कोल्ल्म पर बहुउद्देशीय घाट , सागरमाला के अंतर्गत विचारार्थ प्राप्त हुए हैं। विझिंझम रेल संपर्कता के लिए राज्य सरकार को भूमि का अधिग्रहण करने तथा परियोजना के वित्तत पोषण के लिए व्योवहार्यता अंतर

वित्तिपोषण मार्ग ढूँढने की सलाह दी गई है। केरल सरकार से अज्झिकल पत्न्िए के फ्रेज-के विकास हेतु व्य वहार्यता स्थासपित करने के लिए कुछ तकनीकी अध्यजयन करवाए जाने की सलाह दी गई है। पोत परिवहन मंत्रालय ने केरल सरकार से एक विस्तृछत प्रस्ता व प्रस्तु त करने का अनुरोध किया है। कौल्ल म में एक बहुउद्देश्यत घाट के विकास के लिए केरल सरकार से विस्तृ त परियोजना रिपोर्ट पर स्पएष्टी करण मांगे गए हैं।

(घ) सागरमाला कार्यक्रम (2016-2035) को राष्ट्रीरय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत विकास हेतु चौदह (14) तटीय आर्थिक जोन (सीई जेड) चुने गए हैं। सी ई जेड्स की परिप्रेक्ष्यं योजना को संगत राज्य4 सरकारों तथा केंद्रीय मंत्रालयों के परामर्श से अंतिम रूप दिया गया है। प्राप्त हुए भूमि ब्यौथरे के आधार पर आंध्र प्रदेश तथा गुजरात में सी ई जेडस के लिए विस्तृत मास्टबर प्ला न तैयार करने की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दी गई है। संबंधित राज्यस सरकारों से भूमि ब्यौतरे देने का अनुरोध किया गया है।

(ङ) तथा (च) सागरमाला कार्यक्रम के भाग के रूप में छः (6) नए पत्तिन स्थ लों की पहचान की गई है अर्थात वधावन, एनायम, सागरद्वीप, पारादीप बाहरी बंदरगाह, सिरकाझी तथा बेलेकेरी, इन 6 पत्त,न स्थवलों के लिए तकनीकी-आर्थिक व्येवहार्यता रिपोर्टें तैयार कर ली गई है। सागदद्वीप पर नए पत्तबन के लिए डी पी आर तैयार कर ली गई है तथा वधावन, पारादीप, बाहरी बंदरगाह तथा एनायम के लिए तैयार की जा रही हैं। एनायम में एक महापत्तपन स्थाेपित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन 5 जुलाई 2016 को हासिल कर लिया गया है। जैसा कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा सूचना दी गई है , रामायापट्टणम को राज्यग सरकार द्वारा गैर महापत्त न के रूप में अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है तथा यह कृष्णायपट्टणम के विस्ता रित अनन्ये अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के भीतर अवस्थि त है।

(छ) सागरमाला कार्यक्रम (2016 - 2035) के एक हिस्सेस के रूप में , 400 से अधिक परियोजनाओं की अनुमानित 8 लाख करोड़ रू० के निवेश की पहचान की गई है। सागर माला के अंतर्गत परियोजनाओं का कार्यान्व यन को केन्द्रिय लाइन मंत्रालय , राज्य सरकारों/ समुद्री मंडल द्वारा पूरा किया गया है और सए पी वी निजी सेक्टीर के माध्यकम से और सार्वजनिक निजी सेक्ट र के माध्ययम से और सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी पी पी) के माध्यजम से जो भी व्यावहार्य अधिमान्य् है।

शेष परियोजनाओं के कार्यान्वसयन के लिए , कोष संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों , राज्यर सरकारों के बजट में से प्रार्थित होगा जो परियोजनाओं को कार्यान्वित करेगा। मंत्रालय / राज्यब सरकारें / समुद्री मंडल ऐसे पहचान किए गई परियोजनाओं को कार्यान्वित करेंगी चाहे अपने बजट से अथवा एस पी वी के माध्युम से जहॉ पर सागरमाला विकास कम्पचनी लिमिटेड (एस डी सी एल) इक्विटी समर्थन प्रदान करेगा , जैसा अपेक्षित और आवश्यक होगा।

महापत्तेनों में क्षमता वृद्धि ओर पत्तदन आधुनिकीकरण के संबंध में परियोजनाएं पी पी पी मोड के माध्यम से प्राथमिक तौर पर कार्यान्वित की गई हैं। इसके साथ-साथ महापत्तानों के आंतरिक अतिरिक्तर बजटीय संसाधनों को वित्त् पोषण पत्तकन संबंधी परियोजनाओं के लिए भी उपयोग किया जा रहा है। तटीय समुदाय विकास से संबंधित परियोजनाएॅ पशुपालन , डेरी और मत्य्रहा पालन विभाग (डी ए डी एफ) कोशल विकास और उधमी मंत्रालय (एम एस डी ई) की परियोजनाओं की एकजुट होकर कार्यान्वित किया जा रहा है

अनुबंध-1

सागरमाला के अन्त र्गत परियोजनाओं का सार

परियोजना विकास	वित्तीनय व 15-16		वित्तीनय वर्ष 16-17		वित्तीनय व 17-18		वित्तीनय वर्ष 18-19		वित्तीनय वर्ष 19-20 सें वित्तीनय वर्ष 24-25 तक		वित्तीनय वर्ष 25-26 से वित्तीनय वर्ष 34-35 तक		कुल	
	#	परियो जना लागत (करोड़ रू में)	#	परियो जना लागत (करोड़ रू में)	#	परियो जना लागत (करोड़ रू में)	#	परियोज ना लागत (करोड़ रू में)	#	परियो जना लागत (करोड़ रू में)	#	परियो जना लागत (करोड़ रू में)	#	परियोजना लागत (करोड़ रू में)
पत्तकन आधुनिकीकरण	62	27,700	46	22,670	13	2,193	20	35,512	27	26,588	21	28,165	189	142,828
सम्प8र्कता आवर्धन	30	15,881	58	28,924	28	16,641	26	139,715	17	21,182	11	8,233	170	230,576
पत्त5न आधारित औधोगिकिकरण	2	325	1	3,000	2	5,000	17	94,426	11	318,130	-	-	33	420,881
तटीय समूदाय विकास	4	79	4	529	3	119	4	688	8	2,800	-	-	23	4,216
कुल	**98**	**43,985**	**109**	**55,123**	**46**	**23,953**	**67**	**270,341**	**63**	**368,700**	**32**	**36,398**	**415**	**798,500**

अनुबंध **-2**

कार्यान्वकयन एवं विकास के विभिन्नन स्तिरों के अन्त र्गत परियोजनाओं का सार

कार्यान्वकयनधीन परियोजनाओ का सार			
क्रम **सं.**	**घटक**	**परियोजनाओं की संख्याी**	**लागत (करोड़ रू में)**
1	पत्त न आधुनिकीकरण	69	31,150
2	पत्त न सम्पिर्कता आर्वधन	57	39,309
3	पत्त न आधारित औधोगिकरण	3	26,325
4	तटीय समुदाय विकास	3	90
कुल		**132**	**96,874**

विकास के अधीन परियोजनाओं का सार			
क्रम **सं.**	**घटक**	**परियोजनाओं की संख्यान**	**लागत (करोड़ रू में)**
1	पत्त न आधुनिकीकरण	40	21,828
2	पत्त न सम्पिर्कत्ता आर्वधन	39	16,031
3	तटीय समुदाय विकास	3	516
कुल		**82**	**38,374**

*****